(37)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 934–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 379/2013–14/अपील.

---

किरन स्वरूप पुत्र बाबूलाल
निवासी नारंगीबाई मंदिर लश्कर
जिला ग्वालियर .....आवेदक

**विरूद्ध**

1– हरमीतसिंह पुत्र गुरूमुख सिंह
निवासी ग्राम मदनपुरा
तहसील डबरा जिला ग्वालियर

2– परमजीतसिंह पुत्र बरियाल सिंह
निवासी ग्राम न्यूगढ़ी सालमपुर
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर

3– फारूख कुरैशी पुत्र अब्दुल कुरैशी
निवासी कम्पू ईदगाह, ग्वालियर

4– रमेश योगी पुत्र दयाराम योगी
निवासी महाडिक की गोठ, लश्कर
जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

---

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 व 2
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 16/4/15 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गुढ़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 287/1 के बटांकन के संबंध में प्रकरण तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत हुआ ।

तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 4–8–2007 को बटांकन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रचलित होकर प्रकरण पुनः बटांकन आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–10–2011 को पुनः बटांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–1–2013 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–2–2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष द्वारा अपने–अपने दस्तावेज यथा विक्रय पत्र आदि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजों में दर्शायी गई चतुःसीमाओं के अनुरूप प्रश्नाधीन भूमि का बटांकिन किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को निरस्त कर तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 49 (3) के अंतर्गत प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है । इस वैधानिक स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(2) अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष कि राजस्व निरीक्षक द्वारा फर्द बटांकन त्रुटिपूर्ण तैयार किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से फर्द बटांकन तैयार किया गया है, जिस पर उभय पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया गया था, ऐसी स्थिति में व्यक्ति विशेष के लाभ हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राजस्व निरीक्षक को फर्द बटांकन करने के निर्देश दिये गये थे एवं सभी पक्षकार मौके पर उपस्थित हुए थे, तत्समय आवेदक द्वारा विक्रय पत्र के संलग्न नक्शे की प्रति प्रस्तुत की गई थी,

अन्य पक्षकारों द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये । अनेक अवसर देने के बावजूद भी अनावेदकगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर भूमि खुली एवं रिक्त पड़ी होने के कारण अभिलेख के आधार पर बटांकन की कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रतिवेदन तहसील न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा भी अनेक अवसर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिया गया है, परन्तु अनावेदकगण द्वारा साक्षय प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत बटांकन आदेश पारित किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 1984 आर.एन. 250, 1997 आर.एन. 12 एवं 1994 आर.एन. 439 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जो फर्द बटान तैयार की गई है, वह रजिस्ट्री व उसके संलग्न नक्शे के आधार पर तैयार नहीं की गई है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक के समक्ष अनावेदकगण द्वारा दस्तावेज व नक्शा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 70 के नियम 4 के अंतर्गत भूधारकों की सहमति के आधार पर बटांकन आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है, और नियम 5 में यह प्रावधान है कि यदि भूस्वामी आपस में सहमत नहीं हैं तो विभिन्न भूखण्डों के क्षेत्रफल एवं मिट्टी के आधार पर बटांकन किया जायेगा, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा कोई सहमति नहीं ली गई है, और न ही उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखा गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक आदेश पारित किया गया था, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा करने में त्रुटि की गई थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनावेदक कमांक 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ अनावेदक कमांक 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सर्वे कमांक 287/1 का कुल रकबा किसके नाम दर्ज है तथा उसमें कितने भागीदार हैं, इस,

सम्बन्ध में तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं, और न ही यह स्थिति स्पष्ट है कि यदि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा हुआ है तो बटवारा आदेश में कौनसी भूमि किसको प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त विक्रय पत्र के अलावा इस बिन्दु की जॉच करना भी होगा कि प्रथम दृष्टया अक्स और फर्द बटान में कोई मेल नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों पर बिना जांच किये तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, और ऐसे आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा भी इस बिन्दु पर आदेश पारित करने में कोई विचार नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाना उचित होगा कि उपरोक्त बिन्दुओं पर उभय पक्ष को सुनकर विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित करें ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2015, अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2013 एवं तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–10–2011 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसीलदार को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर